



2026:AHC:24464

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट- सी संख्या-525 सन् 2026

रीना देवी

..... याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थागण

याची के अधिवक्ता : सतीश कुमार पाण्डेय, शरीकुए इमरान सिद्दीकी

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्था संख्या 1 और 2 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. इस याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, प्रत्यर्था/प्रत्यर्थागण को सूचित करने और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रत्यर्था/प्रत्यर्थागण को आदेश से असंतुष्ट है, तो उन्हें आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. इस याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल अनुतोष यह है कि प्रत्यर्था संख्या 2 को पुनर्स्थापना मामला संख्या आरएसटी 5547 सन् 2023 (कंप्यूटरीकृत मामला संख्या टी 202315090305347) का शीघ्रता से निर्णय करने का निर्देश दिया जाए।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि यद्यपि काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचिका का निपटारा करते हुए संबंधित न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त मामले का निर्णय कानून के अनुसार शीघ्रता से और अधिमानतः तीन महीने की अवधि के भीतर करे, लेकिन जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

4 फरवरी, 2024

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"